न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. प्रभु पिता लवजी, जाति भील, निवासी मजरा चन्दनपुरा, गांव बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कालु पिता लवजी, जाति भील, निवासी मजरा चन्दनपुरा, गांव बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. शंकर पिता लवजी, जाति भील, निवासी मजरा चन्दनपुरा, गांव बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रमेश पिता लवजी, जाति भील, निवासी मजरा चन्दनपुरा, गांव बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय खेमा पुत्र रंगा के वारिसान :–

1/1. सोहन पिता स्वर्गीय खेमा, जाति भील

1/2. श्रीमती कमली पत्नी स्वर्गीय खेमा, जाति भील

2. नारायण पिता रामचन्द्र, जाति भील

3. कालु पिता रंगा, जाति भील

4. रामा पिता मोतीलाल, जाति भील

5. रमेश पिता मोतीलाल, जाति भील

6. बापु पिता मोतीलाल, जाति भील

7. सुखलाल पिता मोतीलाल, जाति भील

8. स्वर्गीय रविन्द्र पुत्र रतना के वारिसान :–

8/1. श्रीमती सोमी पत्नी स्वर्गीय रविन्द्र, जाति भील

8/2. सुश्री सीमा पुत्री स्वर्गीय रविन्द्र, जाति भील

8/3. सुश्री प्रेमिला पुत्री स्वर्गीय रविन्द्र, जाति भील

8/4. सुश्री शकुन्तला पुत्री स्वर्गीय रविन्द्र, नाबालिग की वलिया माता श्रीमती सोमी पत्नी स्वर्गीय रविन्द्र, जाति भील, निवासियान ग्राम मंडेला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/5. श्रीमती वर्षा पत्नी रूपलाल (पुत्री रविन्द्र), जाति भील, निवासी भरकडिया, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/6. श्रीमती चन्दा पत्नी रतनलाल (पुत्री रविन्द्र), जाति भील, निवासी डोबापाड़ा, जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8/7. श्रीमती कला पत्नी सोहन (पुत्री रविन्द्र), जाति भील, निवासी बिलड़ी, भैसाव, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. जवला पिता रतना, जाति भील

10. हरिश पिता रतना, जाति भील

11. वासु पिता रतना, जाति भील

12. भगवानिया पिता रतना, जाति भील

13. अनिल पिता रतना, जाति भील

14. रमण पिता पुला, जाति भील

15. मगन पिता गलिया, जाति भील

16. अर्जुन पिता धनिया उर्फ नानजी, जाति भील

17. देवराम पिता धनिया उर्फ नानजी, जाति भील

18. रूपा पिता धनिया उर्फ नानजी, जाति भील

19. सवा पिता धनिया उर्फ नानजी, जाति भील, निवासियान ग्राम मंडेला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

20. हरिश पिता लवजी, जाति भील, निवासी ग्राम चन्दनपुरा, गांव बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

21. तहसीलदार भूमिधारी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
दिनांक 30.11.2015, प्र.सं. 41/2011

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हीरालाल जैन अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 से 4
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21

---::---

निर्णय **दिनांक 25–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 19 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 व

21 के विरूद्ध एक वाद धारा 88 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 से 3 के पिता व दादा रंगा, वादी संख्या 4 से 7 के दादा, वादी संख्या 8 से 13 के पिता रतना, वादी संख्या 14 के दादा, वादी संख्या 15 के पिता हलिया, वादी संख्या 16 से 19 के पिता धनिया के खाते व कब्जे काश्त की भूमियां कुल खेत 103 रकबा 84 बीघा 9 बिस्वा ग्राम बोरी में स्थित है, जिसके नये नंबर सेटलमेन्ट के दौरान डाले गये। वादीगण की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। उक्त खाते के पुराने खसरा नंबर 5555, 5556, 5559, 5558, 5633, 5638 कुल 6 सर्वे नम्बरान वादीगण के पिता व दादा के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी होकर काबिज चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट के दौरान सर्वे 5558 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के नये नंबर 2318 रकबा 0.05 हैक्टर बताया है, जो कि मौके की स्थिति अनुसार नहीं है, बल्कि पुराने सर्वे नंबर 5558 का नये सर्वे नंबर नक्शे अनुसार 2319 बनता है, परन्तु सहवन से सेटलमेन्ट के दौरान 2318 अंकित कर दिया गया जो गलत है एवं उक्त नंबर को प्रतिवादीगण ने अपने नाम बिना किसी आधार के दर्ज करवा लिया है। इसी प्रकार पुराने सर्वे नंबर 5633 रकबा 18 बिस्वा सेटलमेन्ट के दौरान 2328 रकबा 0.15 एवं पुराने सर्वे नंबर 5638 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से नये नंबर 2441 रकबा 0.22 हैक्टर बने है, जो भी बिना आधार के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये हैं। इसी प्रकार पुराने सर्वे नंबर 5559, 5555, 5556 के नये नंबर 2320, 2321, 2322 बनना बताया है, जिसे भी प्रतिवादीगण के नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया है, जबकि उक्त बताये गये नंबरान पर वादीगण का ही अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। अतएवं उक्त पुराने सर्वे नंबर 5555, 5556, 5559, 5558, 5633, 5638 से बने हाल आराजी नंबर 2319, 2328, 2441, 2320, 2321, 2322 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 5555, 5556, 5559, 5558, 5637, 5638 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर कब्जा भी प्रतिवादीगण का है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है एवं न ही उनका कब्जा है। वर्तमान में जो नये नंबर 2318 व 2319 दर्शाये गये हैं

वह प्रतिवादीगण के खाते की भूमि है एवं उनके पूर्वजों से उनके खाते आयी है। वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या 4 में दो विरोधाभाषी कथन किये हैं। वादी वाद के माध्यम से राजसव रेकार्ड में प्रविष्टि की शुद्धि का अनुतोष चाहता है एवं साथ ही घोषणा भी चाहता है, जो अन्तर विरोधी होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद अवधि बाधित है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की :–

1. आया वादी को हाल आराजी नंबर 2318 रकबा 0.50 हैक्टर के स्थान पर खसरा नंबर 2319 रकबा 0.53 हैक्टर वाके ग्राम बोरी का खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है ? .... वादीगण
2. आया वादी को हाल आराजी नंबर 2328 रकबा 0.15 हैक्टर, 2441 रकबा 0.22 हैक्टर वाके ग्राम बोरी पर प्रतिवादीगण का नाम हटाकर खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है ? .... वादीगण
3. आया वादी को हाल आराजी नंबर 2320 रकबा 0.06 हैक्टर, 2321 रकबा 0.33 हैक्टर, 2322 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम बोरी पर प्रतिवादीगण का नाम हटाकर खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है ? .... वादीगण
4. आया विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की होने से वादीगण का कोई अधिकार नहीं बनता है ? .... प्रतिवादीगण
5. आया वाद कारण उत्पन्न न होने से वाद चलने योग्य नहीं है ? .... प्रतिवादीगण
6. आया धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दोनों में वाद हाजा अलग–अलग प्रकृति का पेश होने से चलने योग्य नहीं है ? .... प्रतिवादीगण
7. अनुतोष ?

प्रकरण में दिनांक 29–09–2015 को उभयपक्ष उपस्थित रहे तथा प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन था। इसी दौरान प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–10–2015 को नियत की गयी एवं इस दौरान पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। दिनांक 28–10–2015 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण की साक्ष्य व शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में एकतरफा बहस सुनकर पत्रावली दिनांक 30–11–2015 के लिए मुकर्रर की एवं दिनांक 30–11–2015 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–02–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के सीनियर वकील श्री त्रिभुवन के स्वर्गवास हो जाने से उन्हें एकतरफा निर्णय का ज्ञान नहीं हो सका। माह जनवरी 2016 में जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। अपील यदि देरी से प्रस्तुत करनी मानी जावे तो अपीलान्ट अशिक्षित व सुदूर ग्रामीण के होने से विधिक राय प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। देरी का वास्तविक, न्यायोचित एवं सद्भावना पूर्ण कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने के सन्दर्भ में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1998 पेज 318, आर.आर.डी. 1994 पेज 743 प्रस्तुत की, जबकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा मयाद कण्डोन नहीं किये जाने बाबत् न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2007 (2) पेज 939, डी.एन.जे. (राज.) 2006 (3) पेज 1347 प्रस्तुत की।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर सुनी गयी बहस एवं वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रभावी रूप से यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध 29–01–2016 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–02–2016 अर्थात करीब 5 दिवस देरी से प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त दोनों पक्षों द्वारा पेश की गयी नजीरों का परिशीलन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सुस्पष्ट स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के अनुपस्थित रहने की सामान्यतया अपेक्षा नहीं रहती है तथा यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्ट के वकील की इस दौरान मृत्यु हो गयी थी। तदनुसार अत्यल्प विलम्ब को अखण्डित शपथ पत्र, न्यायहित तथा

अपीलान्ट अशिक्षित एवं ग्रामीण क्षेत्र के होने को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 व 9 व 19 की ओर से वकील श्री हीरालाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 व 20 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व तथ्यों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा न ही अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की शहादत ली गयी एवं न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा होकर 50 वर्षो से उनके मकान बने हुए हैं। वादीगण की साक्ष्य से प्रतिवादीगण को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूरी किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसे वादी की साक्ष्य से जिरह करने का अवसर नहीं मिला है। तद्नुसार प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 226 जिसमें भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है बाबत् है, इस प्रकरण में लागू नहीं होती है, क्योंकि यहां प्रतिवादी को वादी की साक्ष्य से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा गुणावगुण पर उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही

प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित तथ्यों के विपरीत होने से तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को वादीगण की साक्ष्य से जिरह करने का अवसर देकर तथा सुनकर प्रकरण में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 25—09—2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25—07—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

कैलाशपुरी पिता स्व. श्री शिवपुरी जाति साधु, निवासी मेतवाला, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा बनाम **शंकरपुरी पिता स्व. श्री मोहनपुरी जाति साधु, निवासी मेतवाला, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰...........**17/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........ ..... **गढ़ी** .... मुकाम................मुवर्खे............**19**..............माह.............**03**............**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**11**....माह........**06**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री एस. पी. गोस्वामी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**राजकीय अभिभाषक**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–03–2013 तथा रिव्यू आवेदन का निर्णय दिनांक 16–06–2015 यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**11**.....माह.......**06**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।